बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

:: अ धि सू च ना ::

पटना-15, दिनांक- 19 अगस्त, 2006ई0।

संख्या-मं0मं0।/आर0-21/2006 1496 / भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

1- कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय-समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों के क्रमांक-36-"अल्प संख्यक कल्याण विभाग" के कार्यों की विषय सूची के क्रमांक-1 में "अल्प संख्यक समुदायों का कल्याण" के अन्तर्गत कब्रिस्तान की घेराबंदी एवं रख-रखाव का कार्य गृह विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाता है ।

2- अब कार्यपालिका नियमावली (यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों के क्रमांक-2 पर अवस्थित "गृह विभाग" के कार्यों की विषय सूची सामान्य शाखा के अन्तर्गत यथा स्थान प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3- यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-मं0मं0।/आर0-21/2006 1496 /पटना-15, दिनांक- 19 अगस्त, 2006ई0।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ तुरंत प्रकाशित कराकर इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-मं0मं0।/आर-0-21/2006 1496 /पटना-15, दि0- 19 अगस्त, 2006ई0।

प्रतिलिपि- राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सभी मंत्रीगण/सभी राज्यमंत्री गण/अध्यक्ष, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, विकासमान भवन, पटना/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव।